

[2024] 12 एससीआर 543 : 2024 आईएनएससी 961

परवीन कुमार जैन

बनाम

अंजू जैन

(सिविल अपील सं. 14277-14278/2024)

10 दिसंबर 2024

[न्या. विक्रम नाथ एवं न्या. प्रसन्ना बी. वराले]

विचारणीय विवादक

इस मामले में, दोनों पक्षकार विवाहित थे और उनके विवाह से एक बेटा भी हुआ था, लेकिन उनके बीच संबंध खराब हो गए और वे दो दशकों से अलग रह रहे हैं। इन वर्षों में, अलग होने के बाद से, पक्षकारों के बीच मुख्य विवादक अपीलार्थी-पति द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि है।

शीर्ष-टिप्पणियां

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - भरण-पोषण की मात्रा - स्थायी गुजारा भत्ता - बढ़े हुए अंतरिम भरण-पोषण के लिए प्रत्यर्थी का आवेदन पिछले भरण-पोषण आदेश के बाद से परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के उसके दावे पर आधारित था, जिसमें उसकी और बेटे की बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताएं भी शामिल थीं:

अभिनिर्धारित: अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण प्रतीत होते हैं एवं समय के साथ और भी खराब होते गए हैं - विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित रहने के दौरान सुलह की कार्यवाही भी विफल रही - पक्षकार लंबे समय से भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए वाद लड़ रहे हैं, एवं तनावपूर्ण संबंध और अलगाव के बीस वर्षों के बाद केवल

अंतरिम भरण-पोषण के विवादक से निपटने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है - इन तथ्यों को पक्षकारों ने स्वीकार किया है, और उन्होंने अपने विवाह के विघटन के लिए पारस्परिक रूप से सहमति भी जताई है - अतः, अनुच्छेद के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के बीच विवाह को भंग किया जाता है। भारतीय संविधान की धारा 142 - अब, विवाह विच्छेद के साथ लंबित भरण-पोषण का मुद्दा निरर्थक हो जाता है, लेकिन स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करके पत्नी के वित्तीय हितों की रक्षा किए जाने की अभी भी जरूरत है - स्थायी भरण-पोषण की राशि तय करने के लिए सख्त दिशानिर्देश या एक निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है - भरण-पोषण की मात्रा प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर है - वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड का विषय है और एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी बेरोजगार है, जबकि अपीलार्थी एक कुशल बैंकर है, जिसने वर्षों से विभिन्न बैंकों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है - अपीलार्थी वर्तमान में दुबई में विजन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और उसका अनुमानित वेतन लगभग दिरहम 50,000 प्रति माह है, जिसका अर्थ है कि वह लगभग रुपये 10 से 12 लाख प्रति माह कमा रहा है। वर्ष 2010 के उसके डीमैट खाते के विवरण से 5 करोड़ रुपये के निवेश का पता चलता है। इसके अलावा, उनके पास तीन संपत्तियां हैं। प्रत्यर्थी के लिए, विवाह के दौरान उसके द्वारा प्राप्त जीवन स्तर, अलगाव की लंबी अवधि और अपीलार्थी की वित्तीय क्षमता पर विचार करते हुए, 5 करोड़ रुपये (केवल पाँच करोड़ रुपये) की एकमुश्त समझौता राशि, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा सभी लंबित दावों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं उचित राशि प्रतीत होती है। चूंकि, अपीलार्थी के पास अपने बच्चे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, और इस प्रकार उसके रखरखाव और वित्तीय सुरक्षा के

लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। बेटे के रखरखाव और देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) की राशि उचित प्रतीत होती है, जिसका उपयोग वह अपनी उच्च शिक्षा हेतु और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने तक सुरक्षा के रूप में कर सकता है। [पैरा 27, 31, 34, 36, 40, 41]

उद्धृत निर्णयज विधि

अजय मोहन व अन्य बनाम एच.एन. राय व अन्य [2007] 13 *एससीआर* 298 : (2008) 2 *एससीसी* 507; *रजनेश बनाम नेहा व अन्य* [2020] 13 *एससीआर* 1093 : (2021) 2 *एससीसी* 32; *शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन* [2023] 5 *एससीआर* 165 : (2022) 15 *एससीसी* 754; *किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल* [2024] 7 *एससीआर* 942 : (2024) *एससीसी ऑनलाइन एससी* 1724; *अशोक हुर्रा बनाम रुपा बिपिन जवेरी* [1997] 2 *एससीआर* 875 : (1997) 4 *एससीसी* 226; *हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर* [2011] 6 *एससीआर* 118 : (2011) 5 *एससीसी* 234; *विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार* [2011] 9 *एससीआर* 371 : (2011) 13 *एससीसी* 112; *विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल* [2012] 7 *एससीआर* 607 : (2012) 7 *एससीसी* 288 - से संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

भरण-पोषण की मात्रा; स्थायी गुजारा भत्ता; वादकालीन भरण-पोषण; विवाह-विच्छेद; एकमुश्त निपटान राशि; भरण-पोषण एवं वित्तीय सुरक्षा; बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताएं; संविधान का अनुच्छेद 142

से उद्भूत मामले

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 14277-14278/2024

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 01.08.2024 के निर्णय एवं आदेश से, वैवा.अ.(कु.न्या.) सं. 226/2018 एवं 120/2019

पक्षकारों की ओर से उपस्थितियां

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण: सुश्री मुक्ता गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, विरेश बी. सहारिया, उजास कुमार, सुश्री तारा नरूला, सुश्री नित्या गुप्ता, सुश्री अदिति गुप्ता, अक्षत अग्रवाल, ऋषभ माथुर।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण: संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अनु नरूला, सरफराज अहमद, सुश्री हर्षिता सुखीजा, निशांक त्रिपाठी, सुश्री पलक जैन, ऋषि राज शर्मा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. विक्रम नाथ,

1. अनुमति प्रदानित।
2. वर्तमान अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वैवा.अ. (कु.न्या.) 226/2018 एवं सि.वि.आ. 36723/2018, सि.वि.आ. 4245/2021, सि.वि.आ. 51379/2022, सि.वि.आ. 52044/2022 एवं वैवा.अ. (कु.न्या.) 120/2019 में पारित दिनांक 01.08.2024 के आक्षेपित आदेश से उद्भूत हुई हैं। आक्षेपित आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत वादकालीन भरण-

पोषण हेतु एक आवेदन में, कुटुम्ब न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर वैवा.अ. (कु.न्या.) 226/2018 को सभी लंबित आवेदनों के साथ 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की लागत के साथ खारिज कर दिया। उसी सामान्य आदेश द्वारा, पत्नी द्वारा दायर वैवा.अ. (कु.न्या.) 120/2019 को इस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि एचएमए की धारा 24 के तहत पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण को वृद्धि आवेदन दाखिल करने की तिथि से 1,15,000/- रुपये (केवल एक लाख पंद्रह हजार रुपये) से बढ़ाकर 1,45,000/- रुपये (केवल एक लाख पैंतालीस हजार रुपये) प्रति माह किया जाता है।

3. दोनों पक्षकारों ने दिनांक 13.12.1998 को हिंदू रीति-रिवाजों एवं समारोहों के अनुसार विवाह किया तथा दिनांक 28.05.2001 को उनके विवाह से एक बेटा पैदा हुआ। हालांकि, वैवाहिक संबंध खराब हो गए और दोनों पक्षकार जनवरी, 2004 से अलग रहने लगे। अलग होने की तिथि से, बेटा प्रत्यर्थी-पत्नी के साथ रह रहा है। इसके बाद, दिनांक 11.05.2004 को, अपीलार्थी-पति ने क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग करते हुए, कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष एचएमए की धारा 13(1)(i) के तहत एक याचिका दायर की। विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने दिनांक 27.05.2004 को एचएमए की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपने और बेटे के लिए वादकालीन भरण-पोषण की मांग की गई। इस आवेदन का निपटान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2004 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें अपीलार्थी को प्रति माह ₹18,000/- (केवल अठारह हजार रुपये) की संचयी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जिसमें प्रत्यर्थी को ₹15,000/- (केवल पंद्रह हजार रुपये) तथा बेटे को ₹3,000/- शामिल थे।

4. दोनों पक्षकारों ने अलग-अलग अपील के जरिए कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। परिणामस्वरूप, दिनांक 21.11.2005 के आदेश के जरिए उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि बढ़ाकर ₹20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह कर दी, जिसमें प्रत्यर्थी को ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) और बेटे को ₹5,000/- (पांच हजार रुपये मात्र) आवंटित किए गए। इसके बाद प्रत्यर्थी ने एचएमए की धारा 24 व 26 के तहत एक आवेदन दायर कर अंतरिम भरण-पोषण में और वृद्धि की मांग की। अपने आवेदन में उसने ₹1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह की बढ़ी हुई राशि का दावा किया एवं तर्क दिया कि अपीलार्थी की आय में काफी वृद्धि हुई है, जो वेतन, भत्ते एवं बोनस सहित प्रति माह ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) से अधिक है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भरण-पोषण के पूर्व निर्धारण के बाद से उनकी और उनके बेटे दोनों की वित्तीय जरूरतें कई गुना बढ़ गई हैं।
5. आवेदन के लंबित रहने के दौरान, जुलाई 2015 में अपीलार्थी ने स्वेच्छा से अंतरिम भरण-पोषण राशि को बढ़ाकर ₹65,000/- (पैंसठ हजार रुपये मात्र) प्रति माह कर दिया। वह प्रत्यर्थी को ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) देने के लिए सहमत हुआ, जो दिनांक 28.02.2009 को वृद्धि आवेदन दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा, एवं बेटे को ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) देने के लिए सहमत हुआ, जो जुलाई 2015 से प्रभावी होगा। हालांकि, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दिनांक 14.07.2016 को उसके द्वारा वापस लिए जाने पर विवाह-विच्छेद याचिका खारिज होने के बाद, कुटुम्ब न्यायालय पदकार्य-निवृत्त हो गया था, जिससे वह एचएमए की धारा 24 व 26 के तहत कोई और राहत देने में असमर्थ हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू विवाह

अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान किसी वयस्क बालक को भरण-पोषण देने की अनुमति नहीं देते हैं।

6. प्रत्यर्थी द्वारा बढ़ाए गए अंतरिम भरण-पोषण हेतु आवेदन पिछले भरण-पोषण आदेश के बाद से परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों के उसके दावे पर आधारित था, जिसमें उसकी और उसके बेटे की बढ़ी हुई वित्तीय ज़रूरतें शामिल थीं। दूसरी ओर, अपीलार्थी की स्थिति उसके विवाह-विच्छेद याचिका को वापस लेने के कानूनी निहितार्थों एवं वयस्क पुरुष बच्चे के भरण-पोषण के संबंध में एचएमए की धारा 26 की प्रयोज्यता पर केंद्रित थी।
7. कुटुम्ब न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2018 में प्रत्यर्थी के भरण-पोषण में वृद्धि के आवेदन को अनुमति दी तथा यह अभिनिर्धारित किया कि एचएमए की धारा 24 के तहत दायर आवेदन में राहत केवल आवेदन दाखिल करने की तिथि, अर्थात् दिनांक 28.02.2009 से लेकर मुख्य विवाह-विच्छेद याचिका को वापस लिए जाने की तिथि, अर्थात् दिनांक 14.07.2016 को खारिज किए जाने की तिथि तक दी जा सकती है। एचएमए की धारा 26 के तहत कार्यवाही मुख्य विवाह-विच्छेद की कार्यवाही से स्वतंत्र है, और इस धारा के तहत राहत मुख्य विवाह-विच्छेद याचिका के खारिज होने से परे की अवधि के लिए दी जा सकती है। इसमें न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने विलंब करने की रणनीति अपनाई थी, जिससे प्रत्यर्थी के वृद्धि आवेदन का समय पर समाधान नहीं हो सका। अपीलार्थी अपनी वास्तविक आय और संपत्ति को प्रकट करने में टालमटोल कर रहा था अतः, वह अपनी पत्नी और बेटे को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप उचित और न्यायोचित भरण-पोषण प्रदान करने के अपने नैतिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा था।

8. कुटुम्ब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बढ़ते बच्चे के लिए बढ़े हुए खर्चों और प्रत्यर्थी की सामाजिक स्थिति के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्यर्थी तथा उसका बेटा बढ़े हुए भरण-पोषण के हकदार हैं। तदनुसार, कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलार्थी को निम्नलिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया:
- i. दिनांक 28.02.2009 से दिनांक 14.07.2016 तक, जब विवाह-विच्छेद याचिका वापस ली गई थी, पत्नी और बेटे को ₹1,15,000/- (केवल एक लाख पंद्रह हजार रुपये) प्रति माह गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
 - ii. दिनांक 15.07.2016 से बेटे को ₹35,000/- (केवल पैंतीस हजार रुपये) प्रतिमाह दिए जाएंगे, जब तक कि वह 26 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। यह राशि दिनांक 28.05.2019 से शुरू होकर हर दो साल में 10% की वृद्धि के अधीन होगी।
 - iii. वाद व्यय ₹2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये)।
9. दोनों पक्षकारों ने कुटुम्ब न्यायालय के उपरोक्त आदेश को दो अलग-अलग अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय द्वारा इन अपीलों में पारित निर्णय को ही अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।
10. उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या मुख्य विवाह-विच्छेद याचिका वापस लेने पर कुटुम्ब न्यायालय एचएमए की धारा 24 व 26 के तहत लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने का अपना अधिकार खो देता है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि इस तरह की वापसी पर कुटुम्ब न्यायालय पदकार्य-निवृत्त हो जाता है, और इसलिए, एचएमए की धारा

24 व 26 के तहत अंतरिम भरण-पोषण और बाल-संबंधी राहत हेतु कार्यवाही का निर्णय नहीं किया जा सकता है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित था कि एचएमए की धारा 24 व 26 के तहत वैधानिक अधिकारिता विवाह-विच्छेद कार्यवाही हेतु सहायक है एवं मुख्य मामले की वापसी के बाद भी नहीं रह सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि दोनों प्रावधान स्वतंत्र प्रकृति के हैं और विवाह-विच्छेद याचिका वापस लेने के बावजूद भी काम करना जारी रखते हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि एचएमए की धारा 24 के पीछे विधायिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैवाहिक विवादों के लंबित रहने के दौरान आर्थिक रूप से आश्रित पति या पत्नी को संसाधनों के बिना न छोड़ा जाये, एवं याचिका वापस लेने से इस दायित्व को एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि एचएमए कार्यवाही की धारा 24 को समाप्त करने के लिए मुख्य याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से आश्रित पति-पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और कानूनी दायित्वों से बचने के लिए एक प्रक्रियात्मक खामी पैदा होगी। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अंतरिम भरण-पोषण कार्यवाही का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और यह मुख्य कार्यवाही के लिए पूरी तरह से सहायक नहीं है। इसने अभिनिर्धारित किया कि एचएमए की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का निर्णय करने का कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता मुख्य याचिका की वापसी की तिथि तक विस्तारित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आश्रित पति-पत्नी की वित्तीय सुरक्षा प्रक्रियात्मक रणनीति से अचानक बाधित नहीं होती है।

11. एचएमए की धारा 26 के संबंध में, जो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण एवं शिक्षा से संबंधित है, उच्च न्यायालय ने वैधानिक भाषा

और आशय का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया। इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायालयों को “समय-समय पर” आदेश देने की अनुमति देता है, जिसमें मुख्य वैवाहिक कार्यवाही के लंबित रहने या वापस लिए जाने के बावजूद बच्चों से संबंधित राहत प्रदान करना या संशोधित करना शामिल है। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि बच्चों के कल्याण से संबंधित मामले केवल वैवाहिक विवाद के लिए आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि सर्वोपरि एवं स्थायी महत्व के हैं। यह स्वीकार करते हुए कि बच्चों के हित सर्वोपरि हैं, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य याचिका वापस लेने के बाद भी कुटुम्ब न्यायालय एचएमए की धारा 26 के तहत अधिकारिता बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की ज़रूरतों को निरंतर और गतिशील तरीके से संबोधित किया जाता है।

12. उच्च न्यायालय ने *अजय मोहन व अन्य बनाम एच.एन. राय व अन्य* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी की अपील को भी खारिज कर दिया और कहा कि निर्णय एक अलग संदर्भ में सुनाया गया था और यह एचएमए के तहत वैवाहिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं था। इसने पाया गया कि *अजय मोहन (पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय ने एचएमए की धारा 24 व 26 को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट वैधानिक ढांचे या अनूठे विचारों को संबोधित नहीं किया था। अपनी स्थिति की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि एचएमए की धारा 24 व 26 के तहत प्रावधान अलग एवं स्वतंत्र उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं—एक आश्रित पति या पत्नी के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना और दूसरा नाबालिग बच्चों के कल्याण की रक्षा करना है। यह निष्कर्ष निकाला कि इन मामलों का न्यायनिर्णयन

करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता प्राथमिक वैवाहिक विवाद की स्थिति से स्वतंत्र रहता है।

13. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम भरण-पोषण की सत्यता पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय ने **रजनेश बनाम नेहा व अन्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया। इस न्यायालय ने इस निर्णय में पत्नी और आश्रित बच्चे के लिए वित्तीय सहायता के न्यायसंगत निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु सिद्धांत निर्धारित किए। इसने दोहराया कि भरण-पोषण का निर्धारण पक्षकारों की स्थिति एवं जीवनशैली, पत्नी और बच्चों की उचित आवश्यकताओं, पत्नी की शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक कौशल और कमाई की क्षमता के साथ-साथ अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति और दायित्वों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। इसे अपीलार्थी की वित्तीय क्षमता के अनुपात में और पत्नी और बच्चों के अलग होने से पहले के जीवन स्तर के अनुरूप जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए जीवन की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति को भी संबोधित करना चाहिए। इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पति अपनी संपत्तियों को छिपाकर प्रकटीकरण के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता, क्योंकि वित्तीय पारदर्शिता भरण-पोषण के दावों के निष्पक्ष निर्णय हेतु महत्वपूर्ण है।
14. इस मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी की आय, मुख्य रूप से रोजगार और निवेश से, पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण हेतु पर्याप्त रूप से प्रदान करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। साक्ष्य से पता चला कि अपीलार्थी ने वर्ष 2007 एवं 2016 के बीच प्रति माह ₹4,00,000 (केवल चार लाख रुपये) से अधिक कमाया। हालाँकि उसने मॉरीशस में अपने निवास के कारण उच्च जीवन व्यय का दावा किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसके तर्कों को निराधार पाया, क्योंकि

उसके वित्तीय संसाधनों ने उसे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के भरण-पोषण दायित्वों को पूरा करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने के अपीलार्थी के जानबूझकर किए गए प्रयासों के कई उदाहरणों पर भी ध्यान दिया। उसने महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों को छिपाया और अपनी संपत्ति की पूरी सीमा को छिपाने के लिए चुनिंदा जानकारी को प्रकट किया। अपीलार्थी के वैधानिक रूपों की जाँच से पता चला कि उसने वर्ष 2009-2010 की शुरुआत में ₹5.10 करोड़ मूल्य के म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, बैंक खातों में बड़ी राशि जमा की थी, एवं अन्य वित्तीय लेन-देन थे जिनको शुरुआत में प्रकट नहीं किया गया था।

15. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अपनी संपत्ति तथा आय के बारे में त्रुटिपूर्ण अभ्यावेदन दिये। उसने एफ-146, रिचमंड पार्क, गुड़गांव में स्थित एक संपत्ति के स्वामित्व से इनकार किया, जबकि उसके पास इसके स्वामित्व एवं किराये की आय के साक्ष्य थे। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने प्रशाम कंसल्टेंट्स एलएलपी के साथ अपने संबंधों को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें वह तब तक वित्तीय लाभ प्राप्त करता रहा जब तक कि वर्ष 2016 में उसके पिता ने उसकी जगह नहीं ले ली। इन निष्कर्षों ने अपीलार्थी द्वारा अपने भरण-पोषण दायित्व को कम करने के उद्देश्य से भौतिक तथ्यों एवं परिसंपत्तियों को जानबूझकर दबाने के एक पैटर्न को प्रदर्शित किया। इस तरह के आचरण ने न्याय सुनिश्चित करने और निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता के सिद्धांतों को दर्शाते हुए पत्नी एवं बच्चे को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जो उसकी वित्तीय क्षमता के अनुपात में और एक जिम्मेदार जीवनसाथी

तथा माता-पिता के दायित्वों के अनुरूप पत्नी और बच्चे की जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता हो।

16. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, एवं प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किये:

- i. पत्नी द्वारा दायर वैवा.अ. (कु.न्या.) 120/2019 को इस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि एचएमए की धारा 24 के तहत पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण को वृद्धि आवेदन दाखिल करने की तिथि अर्थात् दिनांक 28.02.2009 से अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका वापस लेने की तिथि अर्थात् दिनांक 14.07.2016 तक प्रति माह 1,15,000/- (एक लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) से बढ़ाकर 1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र) किया जाता है।
- ii. अपीलार्थी द्वारा पत्नी और बेटे को अब तक दी गई सभी राशियों का विधिवत समायोजन किया जाएगा।
- iii. अपीलार्थी को संबंधित अवधि हेतु भरण-पोषण राशि में कमी के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज की गणना घाटे की राशि पर उस समय से की जाएगी जब यह किसी विशेष महीने में देय हो जाती है तथा जब तक इसका भुगतान नहीं हो जाता है।
- iv. उपरोक्त के आधार पर, पत्नी एवं बेटे दोनों को भरण-पोषण की बकाया राशि, ब्याज सहित, आज से आठ (8) सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी।

17. अपीलार्थी हमारे समक्ष उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को इस आधार पर चुनौती दे रहा है कि प्रत्यर्थी ने अपने वृद्धि आवेदन के समर्थन में सामग्री/प्रासंगिक दस्तावेजों को छिपाकर और झूठे शपथपत्र दाखिल करके न्यायालयों के साथ धोखाधड़ी की है, तथा विधि के अनुसार बेटे को छब्बीस वर्ष की आयु तक भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता है। 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दंडात्मक प्रकृति का है, भले ही उसने अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान में कभी चूक नहीं की हो।
18. हमने सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षकारों को एकांत कक्ष में सुना, लेकिन कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षकारों ने कहा कि वे आपसी सहमति से विवाह को रद्द करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है।
19. इस न्यायालय के समक्ष बातचीत के दौरान, हमने पाया कि दोनों पक्षकारों का दृष्टिकोण, व्यवहार और आचरण निष्पक्ष तथा तर्कसंगत था। उन्होंने एक-दूसरे को बदनाम करने एवं कार्यवाही में अनावश्यक रूप से देरी करने के बजाय अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान का सत्य उद्देश्य दर्शाया है।
20. संबंधित पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण ने विस्तार से अपनी प्रस्तुतियां पेश की हैं। पक्षकारों ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार अपनी संपत्तियों के शपथपत्र भी दाखिल किए हैं।
21. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह ध्यान रखना उचित है कि दोनों पक्षकार विवाह के लगभग पाँच वर्षों तक ही साथ रहे, और भले ही उनका विवाह से एक बेटा है, वे लगभग दो दशकों से अलग रह रहे हैं। उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं तथा मुकदमेबाजी कर रहे हैं। उनकी सुलह करने की कोई इच्छा नहीं है,

उनकी शादी केवल नाम के लिए है, तथा वर्ष 2004 से दोनों पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं हुआ है। हालाँकि अपीलार्थी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका वापस ले ली गई है, लेकिन वर्ष 2004 से दोनों पक्षकारों के बीच अंतरिम भरण-पोषण की कार्यवाही चल रही है।

22. लंबे समय से चले आ रहे अलगाव, मतभेदों की प्रकृति, न्याय निर्णय के लिए लंबित लंबे समय से चल रहे मुकदमे और सुलह करने हेतु पक्षकारों की अनिच्छा, यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पक्षकारों के बीच का विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।
23. **शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन** के मामले में अपने निर्णय में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उसके पास ऐसे विवाह को भंग करने की विवेकाधीन अधिकारिता है जो उसकी राय में और साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह से टूट चुका है। न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण करते समय सावधानी से इस विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस बारे में निर्णय पर पहुंचने के लिए कि क्या विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तथ्यात्मक रूप से जांच करने एवं इसे दृढ़ता से स्थापित करने की आवश्यकता है।
24. **शिल्पा शैलेश (पूर्वोक्त)** में, इस न्यायालय ने इस तरह की जांच के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को आगे निर्धारित किया, तथा **किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल** के मामले में भी यही दोहराया गया। इन दोनों निर्णयों में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन कारकों की जांच की जानी है, उनमें पक्षकारों के बीच सहवास की अवधि, अलगाव की अवधि, सुलह हेतु किए गए प्रयास, पक्षकारों के

बीच लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा गंभीरता, और ऐसे ही अन्य समान कारक शामिल हैं।

25. इस न्यायालय ने **शिल्पा शैलेश (पूर्वोक्त)** तथा **किरण ज्योत मैनी (पूर्वोक्त)**, **अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन जावेरी** एवं **हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर** जैसे अनेक निर्णयों में स्पष्ट स्थिति निर्धारित की है कि इस न्यायालय द्वारा विवाह को पूरी तरह से टूटने के आधार पर भंग किया जा सकता है जब संबंध इतने तनावपूर्ण हो कि विवाह पक्षकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण समाप्त हो गया हो और ऐसे संबंध को बचाना असंभव हो गया हो। जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि विवाह के बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा अप्रिय संबंध को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य, भावनात्मक या व्यावहारिक, पूरा नहीं होगा और उसे लगता है कि विवाह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो वह विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
26. वर्तमान मामले में, भले ही विवाह के बाद लगभग पाँच से छह साल तक दोनों पक्षकारों एक साथ रहे, लेकिन वे अब दो दशकों से भी अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि सहवास की अवधि के दौरान भी पक्षकारों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। पक्षकारों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपीलार्थी ने प्रतिविरोध दिया है कि प्रत्यर्थी चिड़चिड़ी, शत्रुतापूर्ण थी एवं उसके तथा उसके माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करता था, जिससे वह अवसाद में चला गया। प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया है कि अपीलार्थी का परिवार शुरू से ही उसके प्रति उदासीन था, उन्होंने उसके लिए एक असहज वातावरण बनाया था, और अपीलार्थी ने

उसके प्रति कोई चिंता या परवाह नहीं दिखाई। उसने आगे आरोप लगाया कि सहवास के पाँच वर्षों में, अपीलार्थी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था, उसके साथ घरेलू सहायिका की तरह व्यवहार किया गया, उसकी कभी देखभाल नहीं की गई, और उसके साथ कभी भी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया गया। अपीलार्थी और उसकी माँ के बीच बातचीत सुनने के बाद, उसने अंततः अपने जीवन को खतरे में पड़ने के डर से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया।

27. यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण प्रतीत होते हैं और वर्षों से और भी खराब होते गए हैं। विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित रहने के दौरान सुलह की कार्यवाही भी विफल रही। पक्षकार लंबे समय से भरण-पोषण की कार्यवाही कर रहे हैं, और तनावपूर्ण संबंध और अलगाव के बीस वर्षों के बाद केवल अंतरिम भरण-पोषण के मुद्दे से निपटान का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। इन तथ्यों को हमारे सामने पक्षकारों ने स्वीकार किया है, और उन्होंने अपने विवाह को समाप्त करने के लिए परस्पर सहमति भी जताई है। अतः, हमारा मानना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए।
28. इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों, अभिलेखों पर मौजूद सभी विषय-वस्तुओं, पक्षकारों की प्रस्तुतियों एवं ऊपर बताए गए कारकों के प्रकाश में उनका विश्लेषण करने पर, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को भंग करने का आदेश दिया जाता है।
29. इन सभी वर्षों में, अलग होने के बाद से, पक्षकारों के बीच मुख्य विवादक अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की

राशि है। विवाह-विच्छेद के साथ ही भरण-पोषण का विवादक अब निरर्थक हो गया है, लेकिन पत्नी के वित्तीय हितों को अभी भी स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करके संरक्षित करने की आवश्यकता है। पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण ने दोनों पक्षकारों की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तार से प्रस्तुतियाँ दी हैं। दोनों पक्षकारों की सही वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के आदेशानुसार अपनी आय एवं संपत्ति के संबंधित शपथपत्र दायर किए हैं।

30. पक्षकारों की वित्तीय स्थिति के विवरण में जाने से पहले, यह आवश्यक है कि हम स्थायी गुजारा भत्ता के निर्धारण के संबंध में विधिक स्थिति पर प्रकाश डालें। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में उन कारकों को निर्धारित किया है जिन पर स्थायी गुजारा भत्ता की न्यायसंगत, न्यायोचित एवं उचित राशि निर्धारित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है।
31. स्थायी भरण-पोषण की राशि तय करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश या कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है। भरण-पोषण की मात्रा प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक होती है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है। न्यायालय को दोनों पक्षकारों की आय जैसे कारकों पर गौर करने की आवश्यकता है; विवाह के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्षकार के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों को बनाए रखने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमताएँ और कर्तव्य; विवाह के दौरान पत्नी द्वारा भोगी गई जीवन की गुणवत्ता; और ऐसे ही अन्य समान कारक हैं। यह स्थिति इस न्यायालय द्वारा **विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार और विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल** में निर्धारित की गई थी।

32. इस न्यायालय ने **रजनेश बनाम नेहा (पूर्वोक्त)** के मामले में स्थायी गुजारा भत्ता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय एक व्यापक मानदंड और कारकों की एक सूची प्रदान की है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय स्थायी गुजारा भत्ता पर विशेष जोर देते हुए सभी वैवाहिक कार्यवाहियों में भरण-पोषण की राशि तय करने के लिए आवश्यक एक विस्तृत और व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। **किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल (पूर्वोक्त)** में भी इसी न्यायालय ने यही बात दोहराई है। स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाह विच्छेद के बाद आश्रित पति या पत्नी को किसी भी तरह के सहारे और साधन के बिना न छोड़ा जाए। इसका उद्देश्य आश्रित पति या पत्नी के हितों की रक्षा करना है और इस प्रक्रिया में दूसरे पति या पत्नी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने इन दो निर्णयों में निम्नलिखित कारकों पर विचार करने का प्रावधान किया है:

- i. पक्षकारों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति।
- ii. पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएँ।
- iii. पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताएँ एवं रोज़गार की स्थिति।
- iv. आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति।
- v. वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा भोगी जाने वाली जीवन शैली।
- vi. पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के लिए किए गए किसी भी रोज़गार त्याग।
- vii. गैर-कामकाजी पत्नी के लिए उचित वाद व्यय।

viii. पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण की ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियाँ

ये केवल दिशा-निर्देश हैं, कोई सख्त नियम नहीं है। ऐसे ही अन्य कारकों के साथ ये भी प्रासंगिक हो जाते हैं।

33. **किरण ज्योत मैनी (पूर्वोक्त)** मामले में इस न्यायालय ने, पत्नी का भरण-पोषण करने के पति के दायित्व और राशि तय करने में उसकी वित्तीय क्षमता के महत्व पर चर्चा करते हुए, यह टिप्पणी की थी कि:

“26. इसके अलावा, स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करने में पति की वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। न्यायालय पति की वास्तविक आय, अपने स्वयं के भरण-पोषण के लिए उचित खर्च और किसी भी आश्रित की जांच करेगा जिसे वह कानूनी रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य है। एक संतुलित और निष्पक्ष रखरखाव अधिनिर्णय सुनिश्चित करने के लिए उनकी देनदारियों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय को पति के जीवन स्तर और मुद्रास्फीति और उच्च जीवन लागत के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। भले ही पति दावा करता है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसकी शिक्षा और योग्यता को देखते हुए उसकी कमाने की योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगी कि दी गई राहत निष्पक्ष, न्यायसंगत और पीड़ित पक्षकार के जीवन स्तर के अनुरूप हो। न्यायालय का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि रखरखाव

की राशि से बचने के लिए सभी प्रासंगिक कारकों को संतुलित किया जाए जो या तो अत्यधिक अधिक या अनुचित रूप से कम हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि आश्रित जीवनसाथी अलगाव के बाद आराम के साथ रह सके।”

34. वर्तमान मामले में, यह अभिलेख पर दर्ज है और एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी बेरोजगार है जबकि अपीलार्थी एक कुशल बैंकर है जिसने वर्षों से विभिन्न बैंकों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। हमने हमारे सामने प्रस्तुत किए गए वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया है। भले ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत डीमैट खातों और रोजगार पत्रों के अभिलेख लगभग दस वर्ष या उससे पहले के हैं, लेकिन उनसे उसकी वित्तीय स्थिति का उचित पता लगाया जा सकता है।
35. अभिलेख पर यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी एक गृहिणी है और पिछले कई सालों से काम नहीं कर रही है, बेटा उसके साथ रहता है, जिसने अब अपना बी.टेक. कोर्स पूरा कर लिया है, और वे प्रत्यर्थी की माँ के स्वामित्व वाले घर में रहते हैं। अपीलार्थी ने बेटे की शिक्षा के लिए भुगतान किया है और साथ ही कुटुम्ब न्यायालय के आदेश के अनुसार अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान भी किया है। बेटा अब वयस्क है और उसने स्नातक की पढ़ाई भी पूरी कर ली है।
36. अपीलार्थी वर्तमान में दुबई में विज़न बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और उसका अनुमानित वेतन लगभग दिरहम 50,000 प्रति माह है, जिसका अर्थ है कि वह प्रति माह लगभग 10 से 12 लाख रुपये कमा रहा है। हालाँकि उसने वर्ष 2010 से अपने डीमैट खातों का विवरण दाखिल किया है, लेकिन यह पता चला है कि उस

समय उसके पास लगभग 5 करोड़ रुपये का निवेश था। इसके अलावा, उसके पास क्रमशः लगभग 2 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियाँ हैं।

37. सहवास की अवधि के दौरान, पक्षकार शुरू में मुंबई में रह रहे थे जब अपीलार्थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ एक विदेशी मुद्रा कार्यकारी के रूप में काम कर रहा था और बाद में चेन्नई में जब अपीलार्थी ने अपनी नौकरी बदली थी। अपीलार्थी ने प्रतिष्ठित बैंकों में कई पदों पर काम किया है और विवाह के दौरान प्रत्यर्थी के साथ महानगरीय शहरों में रहा है।
38. इस न्यायालय के दिनांक 23.09.2024 के आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी ने पहले से भुगतान किए गए भरण-पोषण के अतिरिक्त 72 लाख रुपये का बकाया भी चुकाया है।
39. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विवाह विच्छेद के बाद अपीलार्थी के पास प्रत्यर्थी को भरण-पोषण करने की कानूनी बाध्यता के साथ-साथ वित्तीय क्षमता भी है। जैसा कि हमने *किरण ज्योत मेन (पूर्वोक्त)* में अभिनिर्धारित किया है, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए।
40. अभिलेख पर मौजूद सामग्री, परिस्थितियों की समग्रता और इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी और बेटे के लिए प्रावधान के साथ एकमुश्त समझौता राशि एक उचित व्यवस्था होगी। प्रत्यर्थी के लिए, विवाह के दौरान उसके द्वारा भोगी गई जीवन शैली, अलगाव की लंबी अवधि और अपीलार्थी की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, 5 करोड़ रुपये (केवल पांच करोड़ रुपये) की एकमुश्त समझौता राशि, सभी

लंबित दावों के निपटान के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को भुगतान की जाने वाली न्यायसंगत, उचित और न्यायोचित राशि प्रतीत होती है।

41. पिता के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना न्यायसंगत और अनिवार्य है, खासकर तब जब उनके पास ऐसा करने के लिए साधन और क्षमता हो। भले ही बेटा अब वयस्क हो गया है और उसने अभी-अभी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है, लेकिन उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि कॉलेज/विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी करने और कुछ मामलों में स्नातकोत्तर/पेशेवर डिग्री पूरी करने के बाद ही बच्चा रोजगार प्राप्त कर पाएगा। वास्तव में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, लाभकारी रोजगार तभी संभव हो सकता है जब बच्चा 18 वर्ष की आयु से आगे की शिक्षा प्राप्त कर ले। इन प्रतिस्पर्धी समय में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने मात्र से लाभकारी रोजगार की गारंटी नहीं मिलती है। इस मामले में अपीलार्थी के पास अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, और इस प्रकार उसके भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। बेटे के भरण-पोषण और देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) की राशि उचित प्रतीत होती है, जिसका उपयोग वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक सुरक्षा के रूप में कर सकता है।
42. अतः, हम उपर्युक्त राशि को एकमुश्त निपटान राशि के रूप में निर्धारित करते हैं, जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी और उसके बेटे को इस निर्णय की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाना है।
43. परिणामस्वरूप, अपीलों का निपटान उपरोक्त टिप्पणियों एवं पक्षकारों को दिए गए निर्देशानुसार किया जाता है। तदनुसार, भारत के संविधान

के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाह-विच्छेद का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा, अपीलार्थी को उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर प्रत्यर्थी और उसके बेटे को स्थायी गुजारा भत्ता के लिए ऊपर दी गई राशि का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्री तदनुसार आदेश पारित करेगी।

मामले का परिणाम : अपीलों का निपटान किया गया।

अंकित ज्ञान द्वारा शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गयीं।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.